



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
बडकोट (उत्तरकाशी)।



Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-mail:-cenhpwdbarkot@gmail.com
दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01375-224426

पत्रांक 2592/01 ई०

दिनांक 11/11/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (123) थाथरी खड्ड से मुराडी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से किमी० 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 है० वन भुमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु एन० एच० बडकोट को प्रत्यावेदन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/Road/19158/2016)

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 13.09.2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ०आर०सी०एम०) का कार्यावृत्त (वन भुमि प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/19158/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भुमि प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/19158/2016 में दिनांक 05.11.2024 को कुछ पर बिन्दुओं पर चाही गई ऑनलाइन आख्या का निराकरण कर निम्नानुसार बिन्दुवार प्रेषित किया जा रहा है।

SR.	EDS by Forest Department	REPLY	PAGE NO-
1.	KML file of the area proposed for diversion is required to be uploaded at para C(ii) b on Part-I Parivesh Portal, so that proposal could be processed as per the Van (S&S) act 1980.	डायवर्जन के लिए प्रस्तवित क्षेत्र की के०एम०एल० फाइल को भाग- I. Parivesh Portal पर पैरा C (ii) बी पर Upload कर दिया गया है।	
2.	It is to ensure that separate CA schemes for all 7 patches alongwith area details (khasra No., village name etc.) shall be submitted and uploaded.	इस बिन्दु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट द्वारा किया जाना है।	

3.	As per the Section 13 of Van (S&S) Rules, 2023 "Provided further that if the non-forest land being made available for compensatory afforestation already bears vegetation of 0.4 canopy density or more, there shall not be an additional requirement of planting of trees on such land but a programme for improvement of the forest crop shall be implemented by the Forest Department in a time-bound manner. The CA area in NFL/Civil Soyam land having 0.4 canopy density or more are to be dealt as per above.	इस बिन्दु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट द्वारा किया जाना है।	
4.	Cost benefit analysis with current NPV rates shall be submitted.	लागत लाभ विश्लेषण को वर्तमान एनपीवी दरों पर तैयार कर Upload कर दिया गया है।	1-3

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

अधिशारी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
बडकोट (उत्तरकाशी)।

पत्रांक / 01 ई०

दिनांक / 11 / 2024

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड देहरादून।

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:— सहायक अभियन्ता, रा०मा०, लो०नि०वि०, बडकोट उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
बडकोट (उत्तरकाशी)।